राजस्थान सरकार

न्यायालय उप जिला कलक्टर सैपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी –ललित मीना (आर0 ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 6/2021

1–अमरेश पुत्र नेकसिया जाति त्यागी निवासी बसई नबाब तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

..........प्रार्थी

बनाम

1–तहसीलदार सैपऊ बहैसियत लैण्ड होल्डर

..........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति– 1–श्री हरिवीरसिंह एडवोकेट ....(प्रार्थी)

निर्णय

दिनांक: 30.06.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 3118 रकवा 2.0500 हैक्टेयर, 7017/3131 रकवा 0.0700 हैक्टेयर वाकेग्राम जागीरपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर में स्थित है। प्रार्थी का नाम सम्पूर्ण दस्तावेज जैसे सहकारी किसान कार्ड, बैंक पासबुक, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, पेनकार्ड, आधार कार्ड, बोटर कार्ड बगैरा में अमरेश पुत्र नेकसिया लिखा हुआ है यही नाम प्रार्थी का सही नाम है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई नारायनसिंह, राकेश, मुकेश पिसरान नेकसिया हिस्सा 1/2 एवं पूरनसिंह व भगवतीप्रसाद पिसरान भवानीसिंह हिस्सा 1/2 ने संयुक्त रूप से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 21.06.1993 को खरीद किया है उस समय लिपिकीय भूल से प्रार्थी का नाम अमरेश के स्थान पर उमरेश लिख गया। अमरेश एवं उमरेश एक ही व्यक्ति है उक्त विक्रयपत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में भी प्रार्थी के नाम अमरेश की जगह उमरेश लिख दिया जबकि सही नाम अमरेश है इसलिये प्रार्थी उमरेश के स्थान पर दुरस्ती करा कर अमरेश लिखवाना चाहता है। प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी नहीं थी अब पटवारी हल्का से जानकारी करने पर एवं तहसील से नकल जमाबन्दी लेने पर दिनांक 20.02.2021 को जानकारी हुई है। प्रार्थी अपने सम्पूर्ण दस्तावेजों के आधार पर पंचायत के प्रमाण पत्र के आधार पर अपने नाम को राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त करा पाने का अधिकारी है।

अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या 42 के खसरा नम्बरान 3118 व 7017/3131 वाकेग्राम जागीरपुरा तहसील सैपऊ के इन्द्राज को दुरस्त किया जाकर उमरेश पुत्र नेकसिया के स्थान पर अमरेश पुत्र नेकसिया लिखे जाने के आदेश किये जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार सैपऊ से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार सैपऊ के पत्र क्रमांक/राजस्व/2022/274 दिनांक 12.04.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

विद्वान प्रार्थी अभिभाषक को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम समस्त दस्तावेजों में अमरेश पुत्र नेकसिया दर्ज है। सहवन से उमरेश पुत्र नेकसिया दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी का नाम उमरेश के स्थान पर अमरेश दर्ज किया जावे। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्बत् 2071–74 के खाता संख्या 42 वाकेग्राम जागीरपुरा पटवार हल्का बसई नबाब–बी पर अंकित आराजी नम्बरों पर प्रार्थी का नाम उमरेश पुत्र नेकसिया जाति त्यागी के रूप में दर्ज हैं। तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि प्रार्थी का नाम समस्त दस्तावेजों राशनकार्ड, आधार कार्ड, पेनकार्ड, जनआधार कार्ड आदि में अमरेश दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज सहकारी किसान कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, भामाशाह कार्ड की छायाप्रति, पेन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति में अमरेश दर्ज है। अतः उक्त दस्तावेजों एवं तहसीलदार सैपऊ की रिपोर्ट के आधार पर मेरी राय में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार सैपऊ को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी खाता संख्या 42 के खसरा नम्बर 3118, 7017/3131 कुल किता 2 कुल रकवा 2 बीघा 12 विस्वा वाकेग्राम जागीरपुरा पटवार हल्का बसई नबाब–बी पर अंकित प्रार्थी नाम उमरेश पुत्र नेकसिया के स्थान पर अमरेश पुत्र नेकसिया अंकित किया जावे। तहसीलदार सैपऊ को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(ललित मीना)
उप जिला कलक्टर
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ